(ग) अन्य अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों में ए-320 विमानों का कमांडर बनने के लिए कितने अनुभव की आवश्यकता होती है ।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस धारी जो लिखित तकनीकी परीक्षा में सफल हो चुके हों तथा उसके बाद दिन और रात में कौशल परीक्षा दे चुके हों एवं जिनको संबंधित विमान प्रकार यह विमान चालक के रूप में 100 घंटे से अधिक का तजुर्बा हो, लगातार 10 रूट चैक संतोषजनक ढंग से पूरे किए हों जिनमें से कम से कम 5 रात में पूरे किए गए हो, को कौशल परीक्षा के बाद छः माह के भीतर 5700 कि0 ग्रा0 से अधिक आल अप भार वाले किसी भी विमान के पायलट-इन कमाण्ड के रूप में काम करने की अनुमति दे दी जाती है । ए-320 विमान का आल अप भार 73500 कि0 ग्रा0 हैं । इन अपेक्षाओं का पूरा-पूरा ध्यान जा रहा है ।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय मानक तथा संस्तुत व्यवहार की अपेक्षाओं में 250 घंटे का कमाण्ड अनुभव तथा एक एयरलाइन ट्रांसपोर्ट लाइसेंस शामिल हैं ।

विदेशी मुद्रा के लेन-देन में घाटा दर्शानें वाली कम्पनियां

2334. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे** : क्या वित्त यंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात हैं कि बहुतसी कम्पनियां जिनमें भारतीय यूनिट ट्रस्ट के शेयर लगे हुए हैं, इस धनराशि को अन्य कार्यों में लगा रही है, और विदेशी मुद्रा के लेन-देन में घाटा दर्शा रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा0 देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटी0 आई0) ने इस बात की पुष्टि की है कि वह उन कंपनियों जिनमें यू0 टी0 आई0 ने निवेश किए है, द्वारा की गई किन्हीं अनियमितताओं से अवगत नहीं है ।

Loans by Banks through Minorities Finance and Development Corporation

2335. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) loans given by the Nationalised banks through the various State Minorities Finance and Development Corporations;

(b) assistance given by the Nationalised banks for schemes of the National Minorities Finance and Development Corporation so far since its establishment;

(c) whether Government are aware that the banks are not providing loans to the beneficiaries identified by the Minorities Finance and Development Corporations of the various States; and

(d) action Government propose to take to see that loans are given to Minorities through the State Finance and Minorities Corporations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DEBI PROSAD PAL): (a) to (d) The National Minorities Finance and Development Corporation (NMFDC) has been formed with the objective of providing financial assistance to persons belonging to minority communities especially those below the poverty line and those who are unemployed. Information received from Reserve Bank of India (RBI) indicate that the State level Minorities Finance and Development Corporations have been constituted in Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka and Uttar Pradesh.

RBI has advised that the steps taken to facilitate flow of credit to the minority communities and the progress made are reviewed regularly at the meeting of the District Consultative Committee (DCCs) and State Level Bankers' Committees (SLBCs). All lead banks/Convenor Banks of the SLBCs have been advised by RBI to invite the Chairmen/Managing Directors of the State Minorities